बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

संख्या–03 / बजट–01–14 / 2026 / ..... / आ0प्र0

सेवा में,

महालेखाकार(ले0 एवं ह0), बिहार

वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना–23, दिनांक–

विषयः–**COVID-19 संक्रमण से मृत व्यक्तियों के परिजनों को राज्य संसाधन से अनुग्रह अनुदान की राशि का भुगतान करने हेतु वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2245–02–101–0003–संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान के अंतर्गत रु० 4.00 लाख (चार लाख रुपये) आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः–स्वीकृत ।

2. इस राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2026–27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष–2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्य शीर्ष–02–बाढ़, चक्रवात आदि, लघु शीर्ष–101–आनुग्रहिक राहत,उपशीर्ष–0003–संतप्त परिवारों को अनुग्रह अनुदान का भुगतान, मांग संख्या–39, विपत्र कोड–39–2245021010003 में विषय शीर्ष–37 01–अनुग्रह अनुदान के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. पूर्व / वर्तमान आवंटित राशि की जिलावार विवरणी निम्नानुसार है : –

(राशि लाख रुपये में)

क्र०	जिला	स्वास्थ्य विभाग, बिहार का अधियाचना पत्रांक / दिनांक	स्वास्थ्य विभाग द्वारा की गई अधियाचना एवं अनुशंसा के आलोक में मृतकों की संख्या	COVID-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों हेतु राज्य संसाधन से रु० 4.00 लाख प्रति मृतक की दर से आवंटित राशि		
				पूर्व आवंटन	वर्तमान आवंटन	योग
1	जहानाबाद	1841 (12) दिनांक 14.10.2026	1	0.00	4.00	**4.00**

4. उक्त आवंटन से स्वास्थ्य विभाग, बिहार के पत्रांक–1841 (12) दिनांक–14.10.2026 तथा विभागीय अधिसूचना संख्या–2098 / आ0प्र0 दिनांक–09.06.2021 के आलोक में COVID-19 से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजन को राज्य संसाधन से रु० 4.00 लाख की दर से भुगतान किया जाएगा।

5. **आवंटित की गई राशि की निकासी Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाएगी।**

6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक–2561वि0 (2) दिनांक–17.4.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

7. प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(मो० नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी)

अपर सचिव

ज्ञापांक–03/बजट–01–14/2026/211/आ0प्र0, पटना–23 दिनांक– 26-10-26

प्रतिलिपि–

1. वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।
2. उप सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के पत्रांक–1841 (12) दिनांक–14.10.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।
3. कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रमंडलीय आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को सूचनार्थ प्रेषित।
5. जिला पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
6. माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
7. प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग के वरीय प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।
8. आई0टी0 मैनेजर/प्रोग्रामर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार को विभागीय Web Site पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
9. श्री अमन कुमार, प्रोग्रामर, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

26/10

अपर सचिव